न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 49/2024

1. अजय पुत्र श्री कानाराम जाति जाट उम्र बालिग
2. उमराव पुत्र श्री कानाराम जाति जाट उम्र बालिग
3. कमला देवी पुत्री स्व. सुवा जाति जाट उम्र बालिग
4. कमला देवी पत्नी स्व. लालाराम जाति जाट उम्र बालिग
5. करण पुत्र स्व. श्री छोटूलाल जाति जाट उम्र बालिग
6. करतार पुत्र स्व. श्री कानाराम जाति जाट उम्र बालिग
7. गायत्री पुत्री स्व. श्री छोटूलाल जाति जाट उम्र बालिग
8. छन्ना देवी पुत्री स्व. श्री रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र बालिग
9. छोटी देवी पत्नी स्व. श्री छोटूलाल जाति जाट उम्र बालिग
10. नेराज पुत्री स्व. लालाराम जाति जाट उम्र बालिग
11. प्रधान पुत्र स्व. श्रीकानाराम जाति जाट उम्र बालिग
12. भोलूराम पुत्र स्व. श्री सुवा जाति जाट उम्र बालिग
13. मनीष पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति जाट उम्र बालिग
14. फोत (ना औलाद) रणजीत पुत्र स्व. श्री कानाराम जाति जाट (नाम तर्क 3/6/25)
15. रामलाल पुत्र स्व. श्री कानाराम जाति जाट उम्र बालिग
16. रामेश्वरी पुत्री स्व. श्री सुवा जाति जाट उम्र बालिग
17. रामा देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र बालिग
18. विजय कुमार पुत्र स्व. छोटूलाल जाति जाट उम्र बालिग
19. श्रीराम पुत्र स्व. कानाराम जाति जाट उम्र बालिग
20. शारदा पुत्री स्व. लालाराम जाति जाट उम्र बालिग
21. सत्यनारायण पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र बालिग
22. सरदार पुत्री स्व. लालाराम जाति जाट उम्र बालिग
23. सरोज देवी पुत्री स्व. रामेश्वरलाल जाति जाट उम्र बालिग
24. हरकरण फोत स्व. सुवा के वारिसान –

1/24 श्रीमती सम्पत पत्नी श्री हरकरण जाति जाट उम्र बालिग

2/24 चन्द्र प्रकाश पुत्र हरकरण जाति जाट उम्र बालिग

3/24 चेतन पुत्र हरकरण जाति जाट उम्र बालिग

4/24 सीमा पुत्री हरकरण जाति जाट उम्र बालिग सर्व निवासीगण ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल पुत्र चान्दकरण जाति महाजन लखोटिया उम्र बालिग मदनगंज
2. नाबालिग अभिषेक पुत्र जमनालाल प्राकृति संक्षरक माता शांति देवी जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़
3. इसलाम मोहम्मद पुत्र हजारीखां जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी उटड़ा तहसील व जिला अजमेर
4. उषा बाहेती पुत्री श्री चान्दकरण जाति माहजन लखोटिया उम्र बालिग निवासी मदनगंज किशनगढ़
5. कयूम पुत्र श्री नियामत जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी उंटड़ा तहसील व जिला अजमेर
6. गुडडी पुत्री चैनसुख जाति जांगिड उम्र बालिग निवासी फरासिया
7. गीता पुत्री चैनसुख जाति जांगिड उम्र बालिग निवासी फरासिया
8. चौथमल पुत्र श्री रामजी लाल जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. नाबालिग दीक्षा पुत्री श्री जमना लाल प्राकृतिक संरक्षक माता शान्ति देवी जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी फरासिया किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 05.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 02,07,9,11,13,12,14,15,18,19,20,21,22,33,34 की ओर से अधिवक्ता श्री धनराज शर्मा उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी संख्या 23, 24 स्वयं उपस्थित हुये।अप्रार्थी संख्या 06, 36, 37 व 39, 40 के तामिल शुदा नोटिस प्राप्त हुये किन्तु उनकी और से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 27.02.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 21.05.2025 तक अप्रार्थी संख्या 02,03,05 से 09, 11 से 15 एवं 18 से 30, 33, 34 को तामिल हुई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। दिनांक 03.06.2025 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थी संख्या 24 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया, प्रार्थी संख्या 14 का नाम तर्क किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 31 फौत हो चुका है उससे कोई भी अनुतोष नहीं चाहा गया है, उसका भी नाम तर्क किया जावे। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया एवं न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 31 का नाम तर्क किया गया। दिनांक 03.06.2025 तक समस्त अप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 03.06. 2025 को वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम फरासिया स्थित भूमि खसरा संख्या 33 व 34 प्रार्थीगणों सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2024 को वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम फरासिया स्थित भूमि खसरा संख्या 33 व 34 कुल रकबा 03.2037 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप जोप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस 1500/— रू0 पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप जोप कर नियमानुसार मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुये वादअधीन भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 03/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)